

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या 1-एच०एल०ए०

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
(2) यह 14 नवम्बर, 2022 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"6 निगम की सीटों का निर्धारण.- (1) सीटों की कुल संख्या को सरकार द्वारा, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निर्धारित किया जाएगा।
(2) सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, नगर क्षेत्र को वार्डों में ऐसी रीति में विभाजित किया जाएगा, जो विहित की जाए।"
1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 6 का प्रतिस्थापन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 16) की धारा (6) की उप-धारा (1) के प्रावधान के अनुसार, यदि किसी निगम क्षेत्र की सीमा में कोई क्षेत्र शामिल किया जाता है या से बाहर निकाला जाता है तो ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जनसंख्या मौके पर सुनिश्चित की जायेगी तथा निगम की सीटों के पुनः निर्धारण के प्रयोजन के लिये उस निगम की नवीनतम जनगणना के आंकड़ों में शामिल की जायेगी या से निकाल दी जायेगी। जबकि, हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994 के नियम-3 के उप नियम (2) के नवीनतम प्रावधान के अनुसार किसी निगम क्षेत्र की सीमा में शामिल किये गये या बाहर निकाले गये क्षेत्र के सम्बन्ध में, हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के प्रावधानों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली गई जनसंख्या, ऐसी तिथि जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जायें, निगम की सीटों के निर्धारण के प्रयोजन हेतु विचारणीय होगी।
2. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अधिनियम 1994 की धारा 6 की उप-धारा (2), (3) एवं (4) में उल्लेखित प्रावधान हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 में उपलब्ध नहीं हैं तथा नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के वार्डबन्दी के कार्य, हरियाणा नगर पालिका परिसीमन नियम, 1977 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार निपटाये जा रहे हैं, जो हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994 के नियम 7 में भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम, 1994 की धारा 6 को, 14 नवम्बर, 2022, जिस तिथि को हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994 के नियम 3 के प्रतिस्थापन के लिए अधिसूचना जारी की गई, से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
3. इसलिए, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 16) में संशोधन करना आवश्यक है।

डॉ० कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 फरवरी, 2023.

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 16 फरवरी, 2023 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 से उद्धरण

6. निगम के स्थानों का नियतन.— (1) प्रत्येक शासकीय जनगणना के बाद, स्थानों की कुल संख्या, अंततम जनगणना आंकड़ों के आधार पर सरकार द्वारा नियत की जाएगी। यदि निगम की सीमाओं में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है या से बाहर निकाला जाता है, तो जनसंख्या ऐसे क्षेत्र के संबंध में तत्काल अभिनिश्चित की जाएगी तथा स्थानों के पुनः नियतन के प्रयोजन के लिए उस निगम के अंततम जनगणना आंकड़ों में जोड़ दी जाएगी अथवा से निकाल दी जाएगी।

(2) सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, नगरपालिका क्षेत्र वार्डों में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विभाजित किया जाएगा।

(3) वार्ड, यथासाध्य, भौगोलिक रूप में संहत क्षेत्रों तथा भौतिक विशिष्टता, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाएं, यदि कोई हों, संचार तथा सार्वजनिक सुविधा की सुसाध्यता को ध्यान में रखते हुए होंगे।

(4) प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, यथासाध्य, प्रति वार्ड, औसतन जनसंख्या के 10 प्रतिशत तक ऊपर या नीचे के परिवर्तन सहित सम्पूर्ण निगम में एक समान होनी चाहिए।

(5) अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्ड, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जहां निगम की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है।

व्याख्या.— यहां "जनसंख्या" से अभिप्राय है, आयुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त अमले द्वारा, निगम में द्वार-द्वार जाने के बाद, स्थानीय रूप से यथा अभिनिश्चित जनसंख्या।

HARYANA VIDHAN SABHA

BILL NO. 1—HLA OF 2023

**THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)
BILL, 2023**

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023. Short title.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th November, 2022.

2. For section 6 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of section 6 of Haryana Act 16 of 1994.

“6. Fixation of seats of Corporation.— (1) The total number of seats shall be fixed by the Government in such manner, as may be prescribed.

(2) For the purpose of election of members, the Municipal area shall be divided into wards in such manner, as may be prescribed.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. As per the provision of sub-section (1) of section (6) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 16 of 1994), in case certain area is included or excluded from the limits of a Corporation, the population is to be ascertained on the spot in respect of such area and shall be added to or excluded from the latest census figures of that Corporation for the purpose of re-fixation of seats. Whereas as per the latest provision of sub-rule (2) of rule 3 of the Haryana Municipal Corporation Delimitation of Ward Rules, 1994, the population in respect of included/excluded area is to be taken into consideration as drawn from the family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date as may be notified by the Government which shall be considered for the purpose of fixation of seats of the Corporation.
2. Besides this, the provisions mentioned in sub-section (2), (3) & (4) of section 6 of the *ibid* Act, 1994 are not available in the Haryana Municipal Act, 1973 and the work of wardbandi of Municipal Councils and Municipal Committees is being dealt as per the provisions of rule 7 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977 which are also available in rule 7 of the Haryana Municipal Corporation Delimitation of Ward Rules, 1994. As such section 6 of *ibid* Act, 1994 is required to be substituted with effect from 14th November, 2022 i.e., the date on which the notification for substitution of rule 3 of the Haryana Municipal Corporation Delimitation of Ward Rules, 1994 has been issued.
3. Hence, it is necessary to carry out amendment in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 16 of 1994) by way of enacting the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2023.

DR. KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 16th February, 2023

R.K. NANDAL,
Secretary.

N.B.—The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 16th February, 2023, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE
EXTRACT FROM THE HARYANA MUNICIPAL
CORPORATION ACT, 1994

6. Fixation of seats of Corporation.— (1) After every official census, the total number of seats shall be fixed by the Government on the basis of latest census figures. In case certain area is included, or excluded from the limits of a Corporation, the population shall be ascertained on the spot in respect of such area and shall be added to, or excluded from the latest census figures of that Corporation for the purpose of re-fixation of seats.

(2) For the purpose of election of members, the Municipal area shall be divided into wards in such manner, as may be prescribed.

(3) Wards shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and having regard to physical features, existing boundaries of administrative units, if any, facilities of communication and public convenience.

(4) The population of each ward, as far as practicable, should be the same throughout the Corporation with a variation upto 10 percent above or below the average population per ward.

(5) Wards reserved for the members of Scheduled Castes and Backward Classes shall, as far as practicable, be located in those areas where the proportion of their population to the total population of the Corporation is the largest.

Explanation.— Here “population” means the population as ascertained locally by the staff, deputed by the Commissioner, after going from door to door in the Corporation.